राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, विधान सभा, अलवर जिला दुग्ध सहकारी संघ के प्रबन्ध संचालक द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के संबंध में गोपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, जयपुर शहर के शमशानों पर हो रहे अतिक्रमणों के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचना

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.24(6)वित्त/कर/2015-250 दिनांक 28.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान दिवस समारोह, 2016 में बाल फिल्मोत्सव में दिनांक 28 एवं 29 मार्च, 2016 को प्रदर्शित की जाने वाली बाल फिल्मों को सशर्त मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ब) प्रतिवेदन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री मोहन लाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1- राजस्थान वित्त निगम (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 59वां प्रतिवेदन;

जारी..2..

2- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-1998) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 71वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 60वां प्रतिवेदन;

3- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1993-1994) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 78वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 61वां प्रतिवेदन;

4- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-1997) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 79वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 62वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन;

5- पॉचों विद्युत कम्पनियों (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 80वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 63वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन; एवं

6- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 64वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन ।

(II) श्री भागीरथ चौधरी, सभापति, पर्यावरण संबंधी समिति, 2015-2016, समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सभापति, प्राक्कलन समिति ‘क’, 2015-2016, समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

<u>5. याचिकाओं का उपस्थापन</u>

श्री धीरज गुर्जर, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

1- जहाजपुर (भीलवाड़ा) मुख्यालय पर ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाने बाबत् ।

2- जहाजपुर मुख्यालय पर स्वीकृत सहायक कलक्टर कार्यालय के भवन निर्माण तथा पीठासीन अधिकारी व स्टाफ की नियुक्ति बाबत् ।

जारी..3..

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	27	-	पेयजल योजना
2.	46	-	सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित)

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

नोट – आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी ।

7. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्या-2)

''वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।''

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

(II) राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्या-9)

"नगरीय भूमियों का सर्वेक्षण करने और अभिलेख संधारित करने और उनके हक का प्रमाणन करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

जारी..4..

<u>(III) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016</u>

(I) श्री अजय सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्या-8)	"राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 28 मार्च, 2016